

भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. +68

सोमवार, 19 जुलाई, 2021/28 आषाढ, 1943 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

ट्रैवल एजेंसियों और व्यवसायों को सहायता

+68. डॉ. शशि थरूर:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या पर्यटन मंत्रालय सम्पूर्ण देश में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसी लक्षित कार्यक्रम की योजना बना रहा है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या पर्यटन स्थलों के लिए विशिष्ट योजनाएं बनाई जाएंगी जो उन्हें कार्य करने और अधिक आगंतुकों को आकर्षित करने में सक्षम बनाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या देश के ऐसे विशेष क्षेत्र हैं जो केंद्र सरकार द्वारा पर्यटकों को आकर्षित करने और देश में इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्र के रूप में उपयोग करने पर विचार कर रहे हैं; और
- (ङ.) क्या मंत्रालय उन ट्रैवल एजेंसियों और व्यवसायों को सहायता प्रदान करेगा, जिनमें से कई एमएसएमई के रूप में पंजीकृत नहीं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): मंत्रालय ने घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित गतिविधियां/पहलें आरम्भ की हैं:

- i. देखो अपना देश वेबिनार ।
- ii. एक भारत श्रेष्ठ भारत: एक भारत श्रेष्ठ भारत को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियां जैसे रोड शो, पारिवारिक यात्राएं, बी2बी बैठकें, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, युग्मित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच वेबिनार ।
- iii. लॉकडाउन के दौरान देश भर के प्रमुख शहरों और सांस्कृतिक संपत्तियों (दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, उडुपी, औरंगाबाद, प्रतिष्ठित पर्यटक स्थलों) की हवाई फोटोग्राफी ।
- iv. पर्यटन क्षेत्र को खोलने से संबंधित मुद्दों पर उद्योग के हितधारकों के साथ नियमित परामर्श ।
- v. पर्यटकों को संभालने हेतु व्यवस्था, संरक्षा और सुरक्षा के प्रोटोकॉल, सेवा मानक आदि ।
- vi. वेबिनार, सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से घरेलू पर्यटन संवर्धन अभियान ।

- vii. देखो अपना देश अभियान घरेलू प्रचार का मुख्य आधार रहा है । मुख्य फोकस कोविड-19 के पश्चात् यात्रा हेतु सुरक्षित गंतव्य के रूप में भारत के प्रति घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के विश्वास को पुर्नस्थापित करना है ।
- viii. पर्यटन मंत्रालय ने बाजार विकास सहायता योजना (एमडीए) के दिशानिर्देशों को नवंबर 2020 में संशोधित किया है ताकि घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाया जा सके । दिशानिर्देशों के अनुसार, हितधारकों को घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । ऑनलाइन प्रचार सहित अतिरिक्त प्रचार गतिविधियों को शामिल किया गया है और अनुमेय वित्तीय सहायता की सीमा को बढ़ाया गया है । राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के पर्यटन विभाग भी अब इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं ।

(ग) और (घ): पर्यटन स्थलों/गंतव्यों का विकास और संवर्द्धन मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है । तथापि, पर्यटन मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के आधार पर पर्यटन स्थलों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है ।

(ड): वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने हाल ही में 11,000 से अधिक पंजीकृत पर्यटक गाइड/यात्रा और पर्यटन हितधारकों के लिए नई ऋण गारंटी की घोषणा की है, ताकि वह अपनी देनदारियों का निर्वहन कर सकें और कोविड-19 के कारण प्रभावित व्यवसाय को फिर से शुरू कर सकें । ऋण निम्नलिखित सीमा तक 100% गारंटी के साथ प्रदान किया जाएगा:

- यात्रा एवं परिवहन हितधारक टीटीएस (प्रति एजेंसी) के लिए 10,00,000 /- रूपए
- क्षेत्रीय या राज्य स्तर पर लाइसेंस प्राप्त पर्यटक गाइड के लिए रु.1,00,000/- रूपए
